Chhattisgarh
TRTI
TRIBAL RESEARCH AND
TRAINING INSTITUTE

लाल बंगला

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

भुंजिया जनजाति में लाल बंगला मोनोग्राफ अध्ययन

मार्गदर्शन एवं संपादन

शम्मी आबिदी आई.ए.एस.
संचालक

क्षेत्रकार्य एवं प्रतिवेदन

डॉ. अनिल विरूलकर
मोहन साहू

अमर दास
भूषण सिंह नेताम

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

प्राक्कथन

छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न जनजातीय समुदायों में उनकी कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएँ या पहचान विद्यमान है जो उन्हें एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान देती है। राज्य शासन द्वारा राज्य की 05 विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTGs) की सामाजिक - आर्थिक स्थिति के समतुल्य होने के कारण " भुंजिया " जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्य किया गया है, भुंजिया जनजाति राज्य के गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुंद जिले में प्रमुखता से निवासरत है, इनकी चौखुटिया एवं चिन्दा दो उपजातियां हैं।

चौखुटिया "भुंजिया" जनजाति में " लाल बंगला " की अवधारणा पायी जाती हैं लाल बंगला वास्तव में "भुंजिया" जनजाति का एक पवित्र रसोईघर है, इनके समस्त जीवन संस्कार लाल बंगला से संबध्द होते हैं। बर्हिगोत्रीय सदस्यों का लाल बंगला को स्पर्श करना इसे अपवित्र माना जाता है, विवाह संस्कार पश्चात् किसी दंपत्ति की पारिवारिक जीवन की शरूवात भी लाल बंगला से ही होती हैं।

आज भी सामान्य जन लाल बंगला जैसी सांस्कृतिक एवं परपरागत जीवनशैली व लाल बंगला से संबंधित वास्तविक तथ्यों से अनभिज्ञ हैं। अतः संस्थान द्वारा राज्य की जनजातियों के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के अध्ययन के दायित्व के तहत राज्य की भुंजिया जनजाति में प्रचलित " लाल बंगला " के संबंध में मोनोग्राफ अध्ययन कर उसका अभिलेखीकरण का कार्य किया गया है।

आशा है कि यह अध्ययन राज्य की जनजातियों की विविधता पूर्ण संस्कृति को जनसामान्य के सामने लाने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत होगी।

शम्मी आबिदी (आई.ए.एस.)
संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठभूमि

सामान्य शब्दों मे आदिकाल से निवासरत समुदायों को आदिवासी, वनवासी, आदिमजाति आदि नामों से संबोधित व जाना जाता है। वर्तमान परिदृश्य मे ऐसे अनेक समुदाय है जिनकी अनेकों पीढिया़ समुदायों से पृथक, अलग–अलग वनों, पहाड़ों एवं तराइयों में निवासरत होने के कारण वर्तमान परिवेश के साथ ताल–मेल बिठाने की गति प्रायः कम है।

इन समुदायों का अपना जीवन सीमित क्षेत्र, सीमित आवश्यकताओं पर आधारित होता है किन्तु प्रचुर वन संसाधनों पर निर्भर है। इनकी अपनी क्षेत्रीय विशिष्ट संस्कृति, रीति–रिवाज, देवी–देवता, लोककला, आदि परिपूर्ण रही है। जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखती है।

मानव अथवा जनजातीय समुदायों की उत्पत्ति एवं संस्कृति को प्रागैतिहासिक काल (Pre Historical Period) के उत्तर पाषाणीय संस्कृति (Lower Paleolithic Culture), मध्य पाषाणीय संस्कृति (Middle Palaeolithic Culture), उच्च पाषाणीय संस्कृति (Uppar Palaeolithic Culture), ताम्र पाषाणीय संस्कृति (Mesolithic Culture), नव–पाषाणीय संस्कृति (Neolithic Culture), सिंधु सभ्यता (Indus Civilization) के माध्यम से चरणबद्ध एवं क्रमिक विकास के रूप मे समझा जा सकता है।

पाषाण कालीन सभ्यता में उत्पन्न संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मे हस्तांतरित होते हुये आज हमारे सामने है। छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न जनजातीय समुदायों में कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं या पहचान विद्यमान है। जो उस जनजाति की संस्कृति को और अधिक व्यापक रूप में पहचान दिलाती है। जैसे– बस्तर क्षेत्र की एक प्रमुख जनजाति मुरिया में प्रचलित सामाजिक–सांस्कृतिक केन्द्र ''घोटुल'', कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में प्रचलित ''बांस बर्तन निर्माणकला'', बैगा जनजाति में ''गोदना'' प्रथा, खैरवार जनजाति में ''कत्था निर्माण'', हल्बा जनजाति में प्रचलित ''धनकुल'' नामक लोककला विभिन्न जनजातियों में प्रचलित उनमें ''प्रथागत कानून'', जनजातीय जीवनशैली एवं उनके आर्थिक जीवन को प्रदर्शित करने वाले उनके ''साप्ताहिक हाट–बाजार'', ''मड़ई, मेले, जात्रा'' के साथ–साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की अन्य विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य घोषित पिछड़ी जनजाति ''भुंजिया'' में प्रचलित ''लाल बंगला'' की अवधारणा इन जनजातीय समुदायों को और भी अधिक विशिष्टता प्रदान करती है।

उपरोक्त दृष्टिगत संस्थान द्वारा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं जनसामान्य को उनकी संस्कृति से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य की भुंजिया जनजाति में प्रचलित ''लाल बंगला'' का मोनोग्राफ अध्ययन किया गया।

अध्ययन क्षेत्र एवं शोध प्रविधि

भुंजिया जनजाति निवासित बाहुल जिले

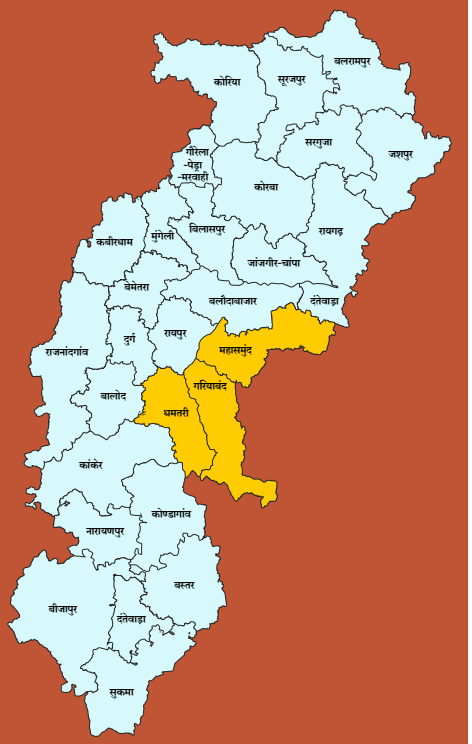

भुंजिया जनजाति राज्य के गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुंद जिले में प्रमुखता से निवासरत है। जिला गरियाबंद एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है। जिले के विभिन्न विकासखण्डों में भुंजिया ग्रामों की कुल संख्या 110 है। प्रशासनिक सरलता के दृष्टि से गरियाबंद जिले को 05 तहसीलों एवं 05 विकासखण्डों में विभक्त है। वर्तमान में यहां 332 ग्राम पंचायतों में 690 ग्राम है। गरियाबंद जिले का कुल क्षेत्रफल 5822.86 वर्ग किलोमीटर है। जिसमे से 2935.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र है।

भुंजिया जनजाति जिला धमतरी के 02 विकासखण्डों नगरी एवं मगरलोड के 08 ग्रामों में निवासरत है। जिला धमतरी का कुल क्षेत्रफल 4084.00 वर्ग किलोमीटर है। जो उत्तर दिशा में रायपुर जिला, पश्चिम मे बालोद जिला तथा दक्षिण–पश्चिम में उत्तर बस्तर कांकेर तथा दक्षिण में उड़ीसा राज्य की सीमाओ से घिरा है। जिले में 213123 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र है। जहां साजा, कौहा, हर्रा, बीजा आदि वृक्षों की प्रजातियों प्रमुख है।

भुंजिया जनजाति जिला महासमुंद के 1113 आबाद ग्रामों में से 20 ग्रामों में निवासरत है। प्रशासकीय सरलता की दृष्टि से महासमुदं जिले को 5 तहसील एवं विकासखण्डो मे विभक्त किया गया है जो 4970 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अवस्थित है।

शोध प्रविधियां

भुंजिया जनजाति के ''लाल बंगला'' से संबंधित सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक, रीति–रिवाजों, लाल बंगला निर्माण एवं लाल बंगला से संबंधित अवधारणाओं आदि पहलुओं के विस्तृत अध्ययन हेतु भुंजिया ग्रामों का चयन दैव निर्देशन पद्धति (Random Sampling) के आधार पर किया गया। अध्ययन में भुंजिया जनजाति निवासित जिलों के समस्त विकासखण्डों का प्रतिनिधित्व रखा गया।

समस्त विकासखण्डों के भुंजिया जनजाति निवासित समस्त ग्रामों की सूची में से 15

से अधिक भुंजिया परिवार वाले ग्रामों की सूची तैयार कर 10 प्रतिशत ग्रामों की संख्या अध्ययन हेतु ली गई तथा उन 10 प्रतिशत ग्रामों में निवासरत कुल परिवारों में से 25 प्रतिशत परिवारों का परिवार अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलन किया गया।

तथ्य संकलन

चयनित ग्रामों मे भुंजिया परिवारों से विषय वस्तु से संबंधित प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु भुंजिया जनजाति के सामाजिक मुखियाओं एवं परिवारों से साक्षात्कार (interview), समूह चर्चा (Group Study) एवं प्रत्यक्ष अवलोकन (Obeseervation) के माध्यम से प्राथमिक तथ्यो का संकलन किया गया।

अध्ययन का उद्धेश्य

भुंजिया जनजाति के सामाजिक–सांस्कृति विशिष्टताओं के तहत उनमें प्रचलित लाल बंगला की अवधारणा का अध्ययन करना प्रमुख उद्देश्य है। जिससे भुंजिया जनजाति की इस विशिष्ट परम्परा जो उनकी जीवनशैली का एक प्रमुख आधार है को अभिलेखीकृत कर जनसामान्य हेतु सुलभ कराया जा सके।

अध्ययन का महत्व

छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न जनजातियां पृथक–पृथक सांस्कृतिक विशिष्टताओं के साथ राज्य में निवासरत है। संस्थान द्वारा मोनोग्राफ के माध्यम से उनके कोई एक सांस्कृतिक पहलु पर विस्तृत अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में राज्य शासन द्वारा घोषित विशेष रूप से कमजोर समूह भुंजिया जनजाति के लाल बंगला के संबंध में प्रचलित उनकी धारणाओं का अभिलेखीकरण मोनोग्राफ के माध्यम से किया जा रहा है। ताकि भविष्य में भुंजिया जनजाति हेतु तैयार की जाने वाली योजनाओं में उनकी सांस्कृतिक अवधारणाओं, मान्यताओं एवं विश्वासों का भी ध्यान रखा जा सके।

भुंजिया जनजाति का संक्षिप्त परिचय

भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नही है। भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में अवधारणा है कि, सत्युग में भगवार शंकर एवं माता पार्वती विचरण करते हुए चित्रकुट की ओर गये। चित्रकुट की प्राकृतिक छटा देख भगवान शंकर ने वहां विश्राम करने का विचार किया तथा विश्राम करते हुए भगवान शंकर ध्यानमग्न हो गये। जब भगवान शंकर ध्यानमग्न हुए तब समय व्यतित करने माता पार्वती द्वारा वहीं नदी के घुपा रेती (महीन रेत) और घास–फूंस से एक छोटी कुटिया का प्रतिरूप और दो स्त्री–पुरूष का पुतला बनाया। उन पुतलों को कुटिया में रख कर माता पार्वती स्नान करने चली गई।

इसी समय भगवान शंकर के चिलम से निकली आग/चिंगारी से घास–फूंस से बने कुटिया में आग लग गई जिससे भीतर रखे पुतले भी आग से झुलस गये। जब माता पार्वती स्नान कर वापस आई तब उन्हें कुटिया और पुतले जले हुए दिखे चूंकि माता पार्वती ने बड़े प्यार से पुतले बनाये थे इस कारण उन्हें दुख हुआ। भगवान शंकर के द्वारा आग लगने के कारण माता पार्वती उन पुतलों में प्राण भरने का हठ करने लगी। उनके हठ को देख भगवान शंकर ने उन पुतलों को जीवित कर दिया।

पुतलों के जीवित होने के बाद माता पार्वती ने उन्हें आग से जलने के कारण भुंजिया (आग से जलने के वाले) नाम प्रदान किया। इन्ही के वंशज ही भुंजिया जातिनाम से जाने जाते है।

प्रचलित किवदंती अनुसार चौखुटिया भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति हल्बा पुरूष और गोंड महिला के विवाह से उत्पन्न संतानों को माना जाता है, वही रिज़ले ने चिन्दा भुंजिया की उत्पत्ति बिंझवार व गोंड जनजाति के विवाह से माना है।

निवास क्षेत्र - भुंजिया जनजाति का सकेन्द्रण छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद, महासमुंद एवं धमतरी जिले में मुख्य रूप से मिलता है। उक्त जिलों के गरियाबंद के छुरा विकासखण्ड के 27 ग्रामों, गरियाबंद विकासखण्ड के 33 ग्राामों, मैनपुर विकासखण्ड के 41 ग्रामों, देवभोग के 07 ग्रामों, और फिंगेश्वर विकासखण्ड के 02 ग्रामों, महासमुंद जिले के महासमुंद विकासखण्ड के 05 ग्रामों

और बागबाहरा विकासखण्ड के 15 ग्रामों तथा धमतरी जिले के मगरलोड के 03 ग्रामों और नगरी विकासखण्ड के 05 ग्रामों मे भुंजिया जनजाति के कुल 138 ग्रामों में 2130 परिवार निवासरत है।

घरों की बनावट - भुंजिया जनजाति के घर प्रायरू मिट्टी निर्मित, छत खपरैल की होती है जिसमें प्रांगण रूप में घर की बनावट होती है। आवास की परिधि में मोटी–मोटी लकडियों का घेरा किया जाता है। जो एक घर को दूसरे घर से पृथक करता है। इस घेरे के भीतर ही प्रवेश द्वार से क्रमशः इनके पशु हेतु कोठा (पशु घर), मुख्य आवास, पृथक से लाल बंगला निर्मित किया जाता है। मध्य में पूर्वज देव या पितर देव का स्थान होता है तथा एक ओर वनोपज संग्रहण की वस्तुएं तथा मवेशियो हेतु चारा या पैरा रखा जाता है। कृषि कार्य पूर्ण हो जाने पर कृषि उपयोगी उपकरण जैसे नांगर (हल), नांगर जुड़ा को घर की मुख्य दीवार पर खुंटी (लकड़ी की ठूंठ) के सहारे टांगकर सुरक्षित रखा जाता है। शेष बड़े उपकरण जैसे बेलन, कोपर, गाड़ा (बैलगाड़ी) को आवास के पास ही बाहर रखा जाता है।

भौतिक संस्कृति - भौतिक संस्कृति से तात्पर्य किसी समुदाय विशेष अथवा परिवार के आवास, रहन, सहन, दैनिक क्रिया–कलापों एवं आर्थिक उपार्जन, कृषि उपकरण, शिकार उपकरण, साज–श्रृंगार व आभूषण से संबंधित उपलब्ध संसाधनों से है। जिसके माध्यम से वे अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते है।

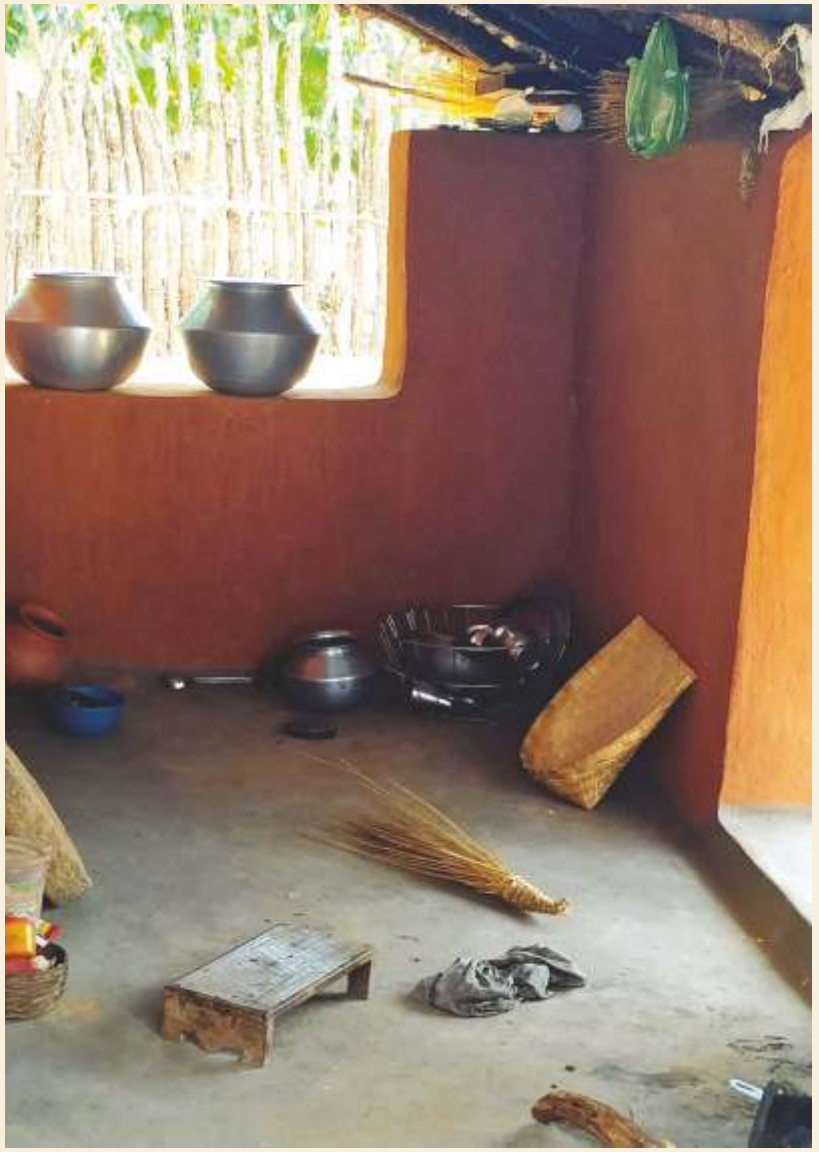

भुंजिया जनजाति के रसोई एवं अन्य घरेलु उपकरणों में पानी भरने हेतु नोखी, गोरिया, भात बनाने हेतु मिट्टी या धातु का रांगा या हडिया, धातु या लकड़ी का चाटु, अनाज पिसने जाता, अनाज कुटने ढेकी, सुपा, परली, कोरली, सील–लोढ़ा, लाहंगी, पौसाल, बेला, पाटा, कृषि उपकरणों में नागोल, सुर, कलारी, टांगी, झापी, दौरी, कोठी, शिकार उपकरणों में धनउ–कांड, टंगली, धनउ गुलेल, चोभा, टोहेला, भठेला तार, चुहा थुंगा, झोकनी, दांदर आदि माप–तौल के उपकरणों में सोला, कोड़ा, मान, सेर, काठा प्रमुख है।

भुंजिया साज- श्रृंगार में स्त्री वर्ग बाल में चपकैन, कान में खिनवा, गले में सुता, बांह में पहुंची, कलाई पर कड़ा, कमर में करधन, पैर में पैड़ी एवं बिछिया के प्रति विशेष लगाव रखते है। भुंजिया महिलाएं स्वच्छ कपड़े धारण करना पसंद करती है। इनमें विवाहित महिलाएं प्रायः श्वेत साड़ी पहनती है। भुंजिया स्त्रियों में गोदना गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। वहीं पुरूष वर्ग सफेद धोती, बंड़ी एवं पटका धारण करते है तथा गले में चौन या नकली माला, कलाई में कड़ा, कमर में चाम पहनते है।

उपजाति - भुंजिया जनजाति में प्रमुख रूप से चौखुटिया एवं चिंदा भुंजिया नामक 02 उपजातियां पायी जाती है। चौखुटिया भुंजिया परम्परागत रूप से स्वयं को अधिक शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र मानते हुए चिन्दा भुंजिया से उच्च मानते हुए विभिन्न सामाजिक नियमो को एक दूसरे के साथ साझा नही करते है।

मूलतरू भुंजिया जनजाति की उपरोक्त 02 ही उपजातियां है। किन्तु वर्तमान मे उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे हुए होने के कारण एवं सामाजिक नियमों, रीति–रिवाजों मे परिवर्तन आदि के कारण उड़ीसा सीमा से सटे हुए महासमुंद जिले के खल्लारी क्षेत्र के भुंजियाओं को ''खल्लारिया'' भुंजिया भी कहा जाने लगा है।

वंश व्यवस्था - भुंजिया जनजाति स्वयं को कछिन (कछुआ) वंश या नेताम वंश के तथा मेचका (मेंढ़क) वंश या मरकाम वंश के मानते है। इनकी मान्यता अनुसार कछुआ एवं मेंढ़क द्वारा इनके प्रारंभिक पूर्वजों की रक्षा की गई थी। अतरू आज भी उनसे उत्पन्न संताने उनके वंशज के रूप में जीवित है अतरू स्वयं को भुंजिया इनके वंशज होना मानती है।

गोत्र - भुंजिया जनजाति के गोत्र बर्हीविवाही (Exogamus) समूह है। चूंकि एक गोत्र के समस्त सदस्य अपनी उत्पत्ति एक समान पूर्वज से एवं एक वंश से मानते है। अतरू आपस मे भाई–बहन का संबंध रख कर परस्पर विवाह को वर्जित मानते है। भुंजिया जनजाति में नेताम, पुजारी, पाती, आमारूखिया, केंदुबहरिया, देवझाखर, डुमरबहरिया, सुवार, नाईक, सरमत, मरई, सेठ या सेठिया, भंवरगढिया़, एवं पोटियाहा गोत्रनाम पाये जाते है।

इनमें रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी नातेदारी प्रमुख है। जो निकटाभिगमन या परिहार संबंध एवं निकटागमन या परिहास संबंधों में विभक्त होती है तथा नातेदारी व्यवस्था में एक दूसरे को संबोधन हेतु माध्यमिक संबोधनों का प्रयोग किया जाता है।

भुंजिया जनजाति में परिवार प्रकार - मानवशास्त्रियों एवं सामाज शास्त्रियो के अनुसार परिवार अधिकार के आधार पर, वंशनाम के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर, निवास के आधार पर एवं वैवाहिक रचना और गठन के साथ–साथ सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवारों का प्रकार बताया गया। राज्य की भुंजिया जनजाति पैतृक परिवार, पितृवंशीय, पितृमार्गीय, पितृस्थानीय एवं मूल एवं संयुक्त प्रकृति के परिवार जाते है।

सामाजिक स्तरीकरण - राज्य की भुंजिया जनजाति स्वयं में दो उपजातियों यथा चौखुटिया भुंजिया, चिंदा भुंजिया एवं खल्लारिया भुंजिया में विभक्त है। उक्त उपजातियों में भी केवल चौखुटिया भुंजिया द्वारा लाल बंगला का निर्माण किया जाता है तथा इनमें स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। जिस कारण से चौखुटिया भुंजिया परिवार स्वयं को अन्य दो उपजातियों से उच्च मानती है।

इसी प्रकार भुंजिया जनजाति में पाये जाने वाले गोत्रों मे भी एक सामाजिक स्तरीकरण दिखलाई पड़ता है। जैसे – भुंजिया जनजाति के नेताम वंश अन्तर्गत नेताम गोत्र समूह के 07 उपभागों/उपगोत्र पुजारी (चौखुटिया भुंजिया समाज का राजा), पाती (मंत्री), आमारूखिया (नियमों का पालन कराना एवं देवताओं

के रूष्ठ होने पर उसे मनाने का कार्य), केन्दुबहरिया (पहलवान), देवझाखर (सिरहा/रोग निवारण का कार्य), डुमरबहरिया (घरेलु कार्य एवं मंत्री का सहयोगी) एवं सुवार (खाना बनाना एवं साफ–सफाई का कार्य) जैसे कार्यों की प्रकृति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण जाति के अंदर दिखलाई देता है। इसी प्रकार भुंजिया जनजाति के अन्तर्गत मरकाम वंश समूह अन्तर्गत नाईक गोत्र का स्थान उच्च एवं पोटियाहा गोत्र का स्थान सबसे निम्न माना जाता है।

सामाजिक स्तरीकरण के क्रम में भुंजिया जनजाति में पूर्व में ग्राम मे निवासरत द्वारा रावत को भी ''छुआ'' मानते थे और उनके हाथ का भोजन ग्रहण नही करते थे क्षेत्र में निवासरत अन्य जातियों के हाथ का न तो से पानी पीते थे, और नही खाना खाते थे, ग्राम में निवासरत अस्पृश्य जाति जैसे सतनामी, घसिया, मेहत्तर, गाडा से पृथक घाट में स्थान करते थे।

भुंजिया जनजाति समुदाय वर्तमान में भी अपने विभिन्न जीवन संस्कारों जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु में नाई, धोबी, रावत व ब्राम्हण की सेवाएं नही लेते है वरन् संस्कारों के सभी कर्मकाण्ड स्वजातीय सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत सदस्यों के माध्यम से पूर्ण किये जाते है।

भुंजिया जनजाति में

लाल बंगला

राज्य की भुंजिया जनजाति की एक विशिष्टता उनमें प्रचलित ''लाल बंगला'' है। जो कि भुंजिया जनजाति की एक उपजाति चौखुटिया भुंजिया परिवारों का रसोई घर है। लाल बंगला स्वयं में स्वच्छता और शुद्धता का प्रतीक है जो भुंजिया जनजाति को एक विशिष्ट पहचान देता है। चौखुटिया भुंजिया समुदाय के प्रत्येक परिवार में लाल बंगला या रसोई घर अलग–अलग मुख्य आवास से पृथक किन्तु समीप में बनाया जाता है। जिसे वे रंधनी घर या रंधनी कुरिया या लाल बंगला कहते है। चौखुटिया भुंजिया समुदाय में एक परिवार जिसमें पति–पत्नी और उनकी सन्तान रहती है का अपना एक पृथक लाल बंगला या रसोई घर होता है। प्रायरू विवाह उपरांत दम्पत्ति को अपना पृथक लाल बंगला का निर्माण करना अनिवार्य होता है। लाल बंगला का शाब्दिक अर्थ लाल रंग के रसोई घर से है। भुंजिया समुदाय द्वारा रसोई घर को लाल रंग से रंगने का अर्थ च्यबंग लालच्य अर्थात लाल मा अउ लाल से है, जो समयांतराल में बंग लाल से लाल बंगला में परिवर्तित हुआ है। यह स्थान भुंजिया जनजाति में शुचिता और पवित्रता का घोतक है।

भुंजिया जनजाति का लाल बंगला एक झोपड़ीनुमा कक्ष होता है। उसके सामने की ओर परछी प्रायरू बनायी जाती है या कभी–कभी एक ही कक्ष का निर्माण लाल बंगला के रूप में किया जाता है। लाल बंगला से लगी हुई परछी में भोजन पकाने की तैयारी जैसे – सब्जी काटना, चांवल साफ करना, पानी रखना आदि की जाती है। कुछ विशेष सामग्रियां जैसे पानी रखने बर्तन, के साथ–साथ अनाज कुटने के लिए ढेंकी, अनाज पिसने पत्थर का जाता एवं चटनी/मसाले पिसने के लिए सील–लोड़हा (सील बट्टा) रखा जाता है, ताकि यह अन्य लोगों के सम्पर्क से दूर रहे।

लाल बंगला के द्वारा पर ही एक हाण्डी में पानी भरकर रखा जाता है। परिवार के जो भी सदस्य लाल बंगला में प्रवेश करते है, वे सर्वप्रथम हाण्डी के पानी से हाथ–पैर धोना अनिवार्य मानते है। जिसे द्वार हाण्डी कहा जाता है।

भुंजिया जनजाति के लाल बंगला की एक विशिष्टता यह भी है कि, अधिकांश लाल बंगला के साथ या पास ही एक फलदार वृक्ष देखने को मिलता है।

लाल बंगला की उत्पत्ति– चौखुटिया भुंजिया समुदाय में इनके लाल बंगला की उत्पत्ति संबंधी अवधारणा या किवदंतियां प्रचलित है। अवधारणा अनुसार त्रेतायुग में जब रावण द्वारा सीता माता के हरण पश्चात् जब श्रीराम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए भुंजिया जनजाति निवासरत ग्राम में पहुंचे जहां भुंजिया लोगों द्वारा उन्हें भोजन कराया गया और भुंजिया पुरूष सदस्यों द्वारा सीता माता की खोज में जाने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की गई, तब उनके मन में राम–लक्ष्मण द्वारा सीताहरण की बताई गई घटना का भय आया कि उनके जाने के बाद घर में केवल महिलाएं ही रूकेंगी और जिस तरह जब रामजी मृग के शिकार के लिए माता सीता को घर में अकेले छोड़ कर गये थे, तब रावण द्वारा छल से उनकी पत्नी का हरण कर लिया गया, कहीं हम भी अपनी पत्नियों को अकेले छोड़कर गये तो उनका भी हरण न कर लिया जाए। इस दुविधा एवं डर से भुंजिया जनजाति के लोगों द्वारा लक्ष्मणजी से सहायता मांगी गई और आग्रह किया कि,

जिस प्रकार उन्होंने सीता माता की रक्षा के लिए उनके कुटिया के चारों ओर लक्ष्मणरेखा खींचकर उन्हें सुरक्षित किया था वैसे ही वे भुंजिया जनजाति की महिलाओं हेतु भी एक सुरक्षा घेरा बनाए। तत्पश्चात लक्ष्मणजी ने इनका आग्रह स्वीकार कर पृथक से एक अतिरिक्त कक्ष बनाने को कहा। जहां भुंजिया स्त्रियां वहा पर रह सकें। इसके बाद इस अतिरिक्त कक्ष के चारों ओर लक्ष्मणजी ने अपने तीर से तीन बार रेखा खींचकर उसे सुरक्षित किया। इस आवास को दूर से ही जान सके इस हेतु इसे लाल रंग से रंग दिया गया। जिसे लाल बंगला कहा गया। इनके द्वारा माना जाता है कि, सत्युग मे इस घेरे को यदि कोई बाहरी व्यक्ति छू भी जाता तो वह अपने आप जल जाता था। इसी परम्परा अनुरूप भुंजिया जनजाति में आज भी अनेकों लाल बंगले एक सांकेतिक रेखा या बांस के घेरे या मिटटी के चौडे चबुतरेनुमा घेरे के अंदर भी दिखाई देते है। इस घेरे का अर्थ विषम गोत्रीय और अनजान व्यक्तियों को लाल बंगला में प्रवेश से दूर रखने हेतु सुरक्षा घेरा/संकेत का कार्य करना है।

लाल बंगला निर्माण विधि- लाल बंगला के निर्माण के लिए किसी विशेष दिन की मान्यता नही है। प्रायरू लाल बंगला नव दत्पत्ति के द्वारा अपने परिवार के लिए विवाह उपरांत बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त लाल बंगला क्षतिग्रस्त हो जाने, किसी विषम गोत्र या जाति के व्यक्ति के स्पर्श कर देने या कुछ अपरिहार्य घटना जैसे – परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने, सगोत्रीय सदस्य की मृत्यु हो जाने, अर्न्तजातीय विवाह होने के पश्चात् पुराने लाल बंगला को तोड़कर पुनरू नये लाल बंगला का निर्माण किया जाता है। किन्तु तोडने के उपरांत नये रसोई घर बनाने में बाध्यता यह है कि, वह उसी स्थान पर नही बनाया जावेगा अपितु पुराने स्थान से पृथक नवीन स्थान पर

बनाया जाता है।

लाल बंगला बनाने हेतु पुरूष एवं महिला दोनो का सहयोग होता है, किन्तु इसके निर्माण में किये जाने वाले कार्यों का विभाजन होता है जैसे लाल बंगला में उपयोग लकड़ी जंगल से लाने, मिट्टी बनाने (मिट्टी खोदकर उसे गीला कर मिट्टी के लोंदे बनाने का कार्य), छानही छाना (छत बनाना) पुरूष वर्ग का कार्य है। इसमें महिलाओं का सम्मिलित होना सामाजिक निषेध है। वहीं फर्श की लिपाई, दीवारों की पुताई, चुल्हा बनाने का कार्य महिला वर्ग द्वारा ही किया जाता है। दीवार की छबाई महिला–पुरूष मिलकर कर दोनों कर सकते है।

लाल बंगला प्रायः लकड़ी, मिट्टी और घास–फूंस से बनाया जाता है। लाल बंगला बनाने हेतु लकड़ी प्रयुक्त लकड़ी लाने घर का मुखिया (पुरूष) उपवास की अवस्था में जंगल जाता है और अपने साथ चांवल लेकर जाता है जंगल में जिस पेड़ की लकड़ी लानी होती है उस पर वह चांवल छिंटता है ओर विनती कर लकड़ी काटकर लाता है। पूर्व में इसकी दीवार बनाने के लिए कर्रा लकड़ी का उपयोग ही मुख्य रूप से किया जाता था।

निर्माण प्रक्रिया में सर्वप्रथम दीवार बनाने वाले स्थान को आयताकार रेखा में एक फीट गहराई में खोद लिया जाता है। आयताकार स्थान पर 11 खम्भे (कर्रा लकड़ी) को उद्धर्वाधर पक्ति में गड़ा लिया जाता है। वहीं पास में मिट्टी भीगा कर रखी जाती है। इस भीगी मिट्टी में बंधन बनने हेतु एक तिहाई से आधे की मात्रा में पेरौसी (धान मिंजने या कुटने के बाद निकली भूसी) मिलाकर लोंदे बनाए जाते है। मिट्टी के गीले लोंदे को एक के उपर एक रख कर क्रमशः 3–4 फीट की दीवार बनाई जाती है इसके बाद इसे रात भर सुखने दिया जाता है ताकि मिट्टी गिली होने और अपने वजन से गिर या धसक न जाये। दूसरे दिन पुनः उस दीवार पर 3–4 फीट तक मिट्टी के लोंदे रखे जाते है। इस प्रकार

8–10 फीट की दीवार बनाई जाती है। इसी समय दरवाजे हेतु चौखट लगाई जाती है। ''लाल बंगला के दरवाजे की चौखट में नीचे लकड़ी नही होती है अर्थात चौखट में दाये, बाये एवं उपर की ओर लकड़ी लगी होती है। चौखट को सीधे जमीन में गाड़ दिया जाता है, चौखट में नीचे की ओर लकड़ी नही होने के पीछे भुंजिया समाज में मान्यता है कि भुंजिया स्त्री द्वारा जमीन पर क्षैतिज रखी लकड़ी को लांघना निषेध है।'' लाल बंगला की चारों ओर की दीवार में केवल एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की या रोशनदान का निर्माण नही किया जाता है। दीवार बनने के बाद उर्द्धवाधर खम्भों के उपर क्षैतिज रूप से दीवार की कुल लंबाई के बराबर लंबी और मोटी लकडिया रखी जाती है जिसे पाटी कहते है। पाटी के उपर उनकी कुल लंबाई से 2–3 फींट ज्यादा लंबाई में बांस बिछाया जाता है, जिसे छर्रा कहा जाता है। पाटी और छर्रा के बीच लंबाई में लकडियों की पंक्ति बिछाई जाती है जिसे कांड़ कहते है। कांड़ बिछ जाने के बाद उसकी छत को खदर घास, सुकला घास, सिंहारी या बोदेल वृक्ष के पत्ते से ढ़का जाता है।

लाल बंगला का अंदरूनी निर्माण - छत बनने के बाद इनकी भीतर और बाहरी

दीवारों पर गीली मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। यह परत दो–तीन दिन मे सुख जाती है। दीवार सुखने के पश्चात इसके उपर विशेष रूप से लाई गई लाल मिट्टी को गीली कर परत चढ़ाई जाती है। जिसके सुख जाने के बाद पुनरू इस पर लाल रंग की चिकनी मिट्टी या गेरू से पुताई की जाती है। लाल बंगले की फर्श को काली मिट्टी की सहायता से समतल किया जाता है। जिसके सुखने के बाद गाय के गोबर से विशिष्ट आकृति के रूप में लिपाई की जाती है। इस प्रकार लाल बंगले हेतु घर मूल ढांचा निर्मित हो जाता है।

परछी से होकर लाल बंगला का मुख्य कक्ष होता है। लाल बंगला के एक कोने पर परिवार की भुंजिया महिला द्वारा मिट्टी निर्मित दो मुंहा चुल्हा लगाया जाता है। इसी से लगा हुआ मिट्टी से लगभग एक फीट की ऊंचाई तथा 2 से 3 फीट लंबाई व 1 फीट की चौड़ाई का आट बनाया जाता है। इस आट में भोजन बनाने की मिट्टी या धातु के पात्र जैसे हाण्डी, कढ़ाई, बांगा, डेचकी आदि को रखा जाता है।

लाल बंगला के इसी कक्ष में एक दीवार पर लकड़ी या बांस निर्मित पटिया क्षैतिज रूप से एक के उपर एक निश्चित अंतराल में लगाया जाता है। जिसमें रसोई उपयोगी सामाग्री जैसे हल्दी, मिर्च, नमक, तेल, मसाले आदि के पात्र या डिब्बे रखे जाते है। इन सामग्रियों को कभी परछी के बाहर नही निकाला जाता है। लाल बंगला के मुख्य स्थान में परिवार की महिला सदस्य द्वारा भोजन ग्रहण करना वर्जित है वे मुख्य रसोई के बाहर की परछी में ही भोजन करती है। पुरूष वर्ग मुख्य रसोई घर या लाल बंगला में भोजन ग्रहण कर सकते है।

नव निर्मित लाल बंगला में वेश संस्कार - नव निर्मित लाल बंगला के प्रवेश के संबंध में दो प्रकार की अवधारणाएं एवं संस्कार प्रचलित है। प्रथमतरू जब परिवार में

प्रथम बार लाल बंगला निर्मित किया जाता है जिसमें ईष्ट देव, पूर्वज देव या डूमा पितर को धूप, नारियल, गुलाल से पूजा कर लाल बंगला का उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब प्रथमतया परिवार में नयी बहू का आगमन होता है तब चूंकि वह बहू अपने पिता के घर का या अपने पिता के गोत्र का लाल बंगला त्यागकर पति के घर में आती है तब उसे पारिवारिक दायित्वों जैसे परिवार के लिए भोजन बनाना प्रारंभ करना पड़ता है तब पति के घर के लाल बंगला में उसके प्रवेश संबंधी सदस्यता दिलाये जाने हेतु परिवार की महिला सदस्य द्वारा हल्दी पानी छिड़ककर द्वार हाण्डी के पानी से उसका शुद्धिकरण कर लाल बंगला में प्रवेश कराया जाता है। उस दिन विवाह पश्चात प्रथम बार नयी बहू के द्वारा परिवार के लिए भोजन बनाने का कार्य किया जाता है।

कन्या के प्रथम रजोस्त्राव में लाल बंगला में प्रवेश का संस्कार – भुंजिया जनजाति में किसी परिवार के पति–पत्नी एवं उनके बच्चे लाल बंगला या रसोई घर में यथा समय शुद्धिकरण पश्चात प्रवेश कर सकते है किन्तु परिवार की पुत्री के प्रथम बार रजस्वला होने पर इंटोला नामक संस्कार किया जाता है। जो कि रजस्वला होने के 7वें दिन सम्पन्न किया जाता है। इस अवधि तक परिवार की उस पुत्री का लाल बंगला में प्रवेश निषिद्ध होता है। इंटोला संस्कार में 7वें दिन रजस्वला कन्या के साथ उसकी माता या समगोत्री महिला स्नान के लिए तालाब या नदी जाती है।

कन्या अपने साथ माटी की टुहनी (छोटी हाण्डी) लेकर जाती है। तालाब के किनारे आग जलाई जाती है और उस हांड़ी में पानी गर्म किया जाता है। गर्म पानी में गोबर की राख डाली जाती है। तत्पश्चात उस हांड़ी में कन्या के कपड़े डाल दिये जाते है। कुछ देर कपड़े गर्म पानी में रखने के बाद कन्या द्वारा उन कपड़ों को साफ किया जाता है और पुनरू हांड़ी में पानी गर्म कर गर्म पानी से कन्या स्नान करती है तथा उस हांड़ी को साफ कर लेती है। इसके बाद कन्या उस हांड़ी को सिर पर रख कर आग जलाए गए चुल्हे का भांवर घुमती (Anti clock wise परिक्रमा) करती है और 07 वे भांवर के बाद उसे पीछे फेंक देती है। इसे हाण्डी पटकी कहा जाता है। हाण्डी को पीछे फेंकन से माना जाता है कि व्याप्त अशुद्धता वही रूक जाएगी और घर वापस नही आएगी। कन्या पीछे मुड़े बीना उसी दिशा में घर आ जाती है। घर आने पर घर की महिलाओं द्वारा उसे पीसी गीली हल्दी

और फल्ली या कुसुम का तेल मिलाकर एक पत्ते में दिया जाता है इसे कन्या अपने शरीर पर लगाती है। इसके बाद कन्या पानी मांगती है, तब कन्या को उसके हाथ में एक तांबे की अंगुठी पकडने़ दी जाती है। घर की/सगोत्री महिला रंधनी कुरिया (लाल बंगला) के सामने रखे द्वार हांड़ी से एक पत्ते के दोना में पानी लेकर आती है और कन्या के हथेली में दे देती है। कन्या उस पानी को पी कर दोना को रंधनी कुरिया की छान्ही में फेंक देती है। इसके बाद कन्या हाथ–पैर धोती है। इस समय से उसे शुद्ध माना जाता है।

घर की बुजुर्ग महिला/सियानिन पृथक से भात बनाती है और खोदकर लाए गए छिंद कांदा को सियानिन और 09 बच्चे आपस मे बांटकर खाते है।

विवाह संस्कार से पुत्री की लाल बंगला में सदस्यता पर प्रभाव– किसी चौखुटिया भुंजिया परिवार में पुत्री का विवाह कार्यक्रम होने पर उस पुत्री का अपने पिता के घर के लाल बंगला में उसका अधिकार क्षेत्र समाप्त होने का समय माना जाता है। विवाह हेतु मडवा बनाते समय जिस पुत्री का विवाह हो रहा है वह लाल बंगला में ही रहती है। मड़वा बनने के बाद पुत्री के भाई द्वारा उसका हाथ पकड़कर लाल बंगला से बाहर लेकर मड़वा (मण्डप) में लाया जाता है। यह समय हास परिहास का होता है इस लिए घर की महिलाएं पुत्री से हास परिहास करती है और कहती है कि आज के बाद से इस घर पर और लाल बंगला पर तेरा अधिकार समाप्त हुआ है और पुत्री की मां या अन्य बुजुर्ग महिलाएं ''आज ले तोर इंहा के रंधनी छुट गे''। भुंजिया जनजाति में इस प्रकार से पुत्री जब एक बार अपने पिता के लाल बंगला से बाहर आ जाती है, तब इस दिन के बाद से वह उस लाल बंगला की सदस्य नही रह जाती और दोबारा पुनः जब विवाह पश्चात कभी भी अपने पिता के घर मेहमान के रूप में आती है तो उसका दूसरी गोत्र का सदस्य हो जाने के नाते अपने पिता के लाल बंगला में न तो प्रवेश कर पाती है और न ही लाल बंगले की परिधि को स्पर्श कर पाती है। पुत्री विवाह पश्चात अपने पिता के घर आने पर वहां लाल बंगला में बना भोजन उसे नही दिया जाता है। अपितु उसकी पसंद का भोजन लाल बंगला के बाहर पृथक चुल्हे में बना कर उसकी आवभगत की जाती है।

नवाखाई त्यौहार में लाल बंगला

सामान्यतः सभी जनजातियों में नयी फसल को अपने ईष्ट देव को अर्पित करने एवं उसके उपभोग के पहले नवाखाई त्यौहार महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसकी तिथि पृथक–पृथक जनजातियों अथवा जनजाति परिवारों में अलग–अलग होती है। भुंजिया जनजाति में भी प्रत्येक वर्ष नई फसल आने पर नवाखाई त्यौहार प्रायरू सभी परिवारों में भाद्र माह के एकम या तीज के दिन नवाखाई त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लाल बंगला में पूर्वज व पितर देवों की पुजा कर परिवार की अविवाहित व छोटे बच्चों के द्वारा लाल बंगला की बाहरी दिवारों पर नई फसल के चांवल के आटे के घोल से हाथों की छाप लगाई जाती है, जिसे हाथा देना कहा जाता है। इसे एक प्रकार से लाल बंगला की शुद्धि करना भी माना जाता है और साथ ही अन्य गोत्रीय या समाजिक सदस्यों को लाल बंगला की दीवार मे छापे से यह संकेत मिल जाता है कि इस परिवार में नवाखाई की जा चुकी है।

इ ह्मइ ड्ड ङ्कृ इ ह्म कृ द्द • ञ ह्म ड्ड ह्म-

भुंजिया जनजाति की उपजाति चौखुटिया भुंजिया में लाल बंगला जितनी विशिष्टता लिए हुए है, उतनी ही उसकी सीमाएं भी है। इनमें लाल बंगला को शुद्धता का प्रतीक मानते हुए अन्य लोगों की पहुंच या स्पर्श से पृथक रखा जाता है। इसलिए लाल बंगले के चारों ओर बांस या मिट्टी की दीवारनुमा घेरा भी देखने को मिलता है। एक ही गोत्र के सदस्य एक ओर जहां लाल बंगला को स्पर्श या प्रवेश कर सकते है। वहीं स्वजातीय दूसरे गोत्र के सदस्य के लिए लाल बंगला को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। वहीं गैर भुंजिया समुदाय के सदस्यों को परिवार के सदस्यों द्वारा लाल बंगला को स्पर्श न करने अथवा उसके पास जाने की मनाही होती है। भूलवश यदि विषम गोत्रीय या अन्य अन्य समुदाय के व्यक्तियों द्वारा स्पर्श कर लिये जाने अथवा परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उस लाल बंगले को अशुद्ध या अपवित्र हो जाना मानकर पूर्ण रूप से तोड़कर दूसरे स्थान पर पुनः नया लाल बंगला का निर्माण किया जाता है। चौखुटिया भुंजिया जनजाति सगोत्रीय सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर लाल बंगला का पुनः निर्माण न कर लाल बंगला के बाहर रखी गयीं द्वार हाण्डी को फेंककर तोड़ दिया जाता है। जिसे हाण्डी पटकना या हाण्डी बाहिर करना कहा जाता है। इसके स्थान पुनः एक नई हाण्डी में पानी भरकर रखा जाता है।

लाल बंगला से संबंधित निषेध

1. लाल बंगला के निर्माण हेतु लकड़ी लाने जंगल खाली पेट (उपवास की अवस्था में) ही जाना होता है।
2. लाल बंगला के फर्श की लिपाई केवल गाय के गोबर से की जाती है।
3. लाल बंगला की छबाई हेतु मिट्टी बनाने का कार्य केवल पुरूष वर्ग द्वारा किया जाता है।
4. छबाई का कार्य केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है।
5. छान्ही छाने (छत बनाने) का कार्य पुरूष वर्ग द्वारा ही किया जाता है, महिलाओं का छान्ही में चडना वर्जित है।
6. लाल बंगला के भीतर अन्य स्थान का पका अन्न लाना वर्जित है।
7. लाल बंगला में केवल भोजन संबधी सामग्री रखी जाती है, वहां सोना वर्जित है।
8. लाल बंगला में पका भोजन उसकी परिधि में ही खाया जाता है तब बचा भोजन वापस भीतर रखा जा सकता है किन्तु यदि पका भोजन उसकी परिधि के बाहर जाकर खाया जाता है तब शेष बचा भोजन वापस लाल बंगला के भीतर नही ले जाया जा सकता है।
9. भुंजिया जाति में लाल बंगला के मुख्य कक्ष में महिलाओं का भोजन करना वर्जित है वे लाल बंगला के परछी में ही भोजन करती है, पुरूष कभी–कभी मुख्य कक्ष में भोजन कर सकते है।
10. लाल बंगला में पका भोजन कोई भी सगे संबंधी ग्रहण नही कर सकते, यहां पका भोजन केवल परिवार के सदस्यों हेतु होता है।
11. परिवार की पुत्री भी विवाह उपरांत लाल बंगला में प्रवेश नही कर सकती और न ही वहां का भोजन ग्रहण कर सकती है।
12. प्रसुता स्त्री द्वारा प्रसव के 2½ माह तक एवं रजस्वला स्त्री द्वारा रजोकाल में लाल बंगला में प्रवेश नही किया जाता है। इस समय परिवार की कोई अन्य महिला, अविवाहित पुत्री या पुरूष सदस्य द्वारा लाल बंगला मे खाना बनाया जाता है।
13. लाल बंगला की रसोई में कोई भी मांस भुंजा नही जा सकता है, वरन् मांस भुंजने का कार्य लाल बंगला की परिधि में ही किया जाता है, तत्श्चात उसे लाल बंगला के परछी में रखे चुल्हे में पकाया जाता है।

अध्ययन का महत्व

चौखुटिया भुंजिया जनजाति में लाल बंगला की परम्परा प्रचलित है। इनमें लाल बंगला शुद्धता एवं स्वच्छता की वाहक है। चौखुटिया भुंजिया की जीवनशैली लाल बंगला के इर्द्ध–गिर्द्ध व्यवस्थित होती है। चौखुटिया भुंजिया में लाल बंगला का विशेष महत्व है। पृथक लाल बंगला निर्माण की अनुपस्थिति में यह अपनी पारिवारिक व्यवस्थाओं व सामाजिक नियमों का पूर्ण होना नही मानते है। भुंजिया जनजाति में लाल बंगला की प्रासंगिकता के दृष्टिगत यह विस्तृत अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में उल्लेखित भुंजिया जनजाति के विश्वास एवं मान्यताएं राज्य में भुंजिया जनजाति की इस विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित एवं संवर्धित करने में सहायक होगी। साथ ही शासन द्वारा निर्माण की जाने वाली अथवा क्रियान्वित किये जाने वाली योजनाओं में भी उनके सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी सिद्ध होगी ताकि भुंजिया जनजाति में शासन की अन्य योजनाओं के प्रति उनकी स्वीकार्यता में भी वृद्धि होगी।

संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर 24, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

Website: cgtrti.gov.in, E-mail: trti.cg@nic.in

Phone: 0771-2960530, Fax: 0771-2960531